

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल—37 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा—151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अलगू पुत्र रामधीरज नि० झौहना पूर्वी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—164/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. महेश कुमार पुत्र हनुमान नि० चिरवेसना डिहवा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—284/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. शिव बहादुर पुत्र मातादीन नि० सेमरा शेखपुर बिहारी पुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—385/20, 02. श्यामू पुत्र बाबू राम नि० सेमरा शेखपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—386/20, 03. प्रेमचन्द्र कोरी पुत्र राम प्यारे कोरी नि० परसापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—387/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रवि कुमार यादव पुत्र मस्तराम नि० करनपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—351/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. महेश्वरी पुत्र जवाहिर नि० खटिकन पुरवा माथेपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०—60/60(2) आबकारी अधि०, 02. महीन पुत्र इदरीश नि० चन्दापुर कोरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—275/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विनोद पुत्र हरि प्रसाद नि० इन्दिरा नगर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—270/20, 02. श्रीराम वर्मा पुत्र राम विलास नि० राजापुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—271/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पप्पू पुत्र दुखीराम नि० मयापुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—354/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. गंगाराम पुत्र फूलचन्द्र नि० गोपालपुर चौबे थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—317/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

09. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. हप्पे पुत्र हौसिला प्रसाद नि० दुल्हापुर थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 18 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०—691/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गैंगेस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अंगद पुत्र रमाशंकर नि० मल्हानपुरवा दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-284/20, धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा राज करन नय्यर ने जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था।

जिसके क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उक्त वांछित चल रहे आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० रामजीत चौरासिया।
02. हेड का० संतोष शर्मा।
03. हेड का० संजय सिंह।

नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना कटराबाजार पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त इरफान पुत्र मेराज खा नि० तकतीम पुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को थाना कटराबाजार पर पंजीकृत मु०अ०सं०-165/20, धारा 323.504.506.354.452 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना कटराबाजार क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ उसके घर में घुसकर छेड़छाड़ किया था, लड़की द्वारा विरोध करने पर गाली-गुप्ता देते हुए मारा-पीटा था तथा जाने से मारने की धमकी भी दी थी। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के भाई द्वारा थाना कटराबाजार में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कटराबाजार पुलिस कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा शनिवार जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज पुलिस ने आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त रामल्ला तिवारी पुत्र जगन्नाथ तिवारी नि० रामपुर पोखरा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को थाना नवाबगंज में पंजीकृत मु०अ०सं०-384/20, धारा 498ए.306 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने वादी राजबहादुर मिश्रा पुत्र शिवप्रसाद नि० भदेईया पूरे नथरु थाना लम्भुवा जनपद सुल्तानपुर की पुत्री को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए आत्महत्या करने के लिये प्रेरित किया करता था। जिससे वादी की लड़की ने आत्महत्या कर लिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें नवाबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त शिवकुमार पुत्र रामशंकर यादव नि० काजीपुरवा मौजा अमदही जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज में पंजीकृत मु०अ०सं०-198/20, धारा 376ए०बी०.506 भादवि व 5ड/6 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र की रहने वाली 02 नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में बच्चियों की माता द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

हत्याकर शव को छुपाने के आरोप में 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। शनिवार जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने हत्याकर शव को छुपाने के 02 आरोपी अभियुक्तों—01. अवधकिशोर तिवारी पुत्र बनवारी लाल तिवारी, 02. कमला तिवारी पत्नी अवध किशोर तिवारी निवासीगण परास पट्टी मझवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा को थाना उमरीबेगमगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0—198/20, धारा 302.201 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्तगणों ने दिनांक 30/31.08.2020 की रात्रि वादी रणधीर सिंह उर्फ रानू पुत्र उमेश सिंह नि0 परास पट्टी मझवार जनपद गोण्डा के भाई की हत्याकर शव को नदी के किनारे छिपा दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें उमरीबेगमगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

750 ग्राम अवैध चरस बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राजू नाई पुत्र रामनिवास नि0 बनकसिया शिवरतन सिंह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—333/20, धारा 8/21, एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 750 ग्राम अवैध चरस।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 12.09.2020 को थाना मनकापुर के उ0नि0 जितेन्द्र कुमार मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बनकसिया शिवरतन सिंह नहर पुलिस के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 750 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना मनकापुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार।

02. का0 शैलेन्द्र नाथ सिंह।

03. का0 हरिओम सिंह।

थाना खरगूपुर ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. महेश कोरी पुत्र स्व0 अनन्तराम कोरी नि0 लालनगर भयापुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—168/20, धारा 8/21, एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 100 अलप्राजोलम टेबलेट।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 12.09.2020 को थाना खरगूपुर के उ0नि0 अरविन्द कुमार वर्मा मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियुक्त को रनियापुर मोड के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 100 अलप्राजोलम टेबलेट बरामद किया गया। अभियुक्त को थाना खरगूपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० अरविन्द वर्मा
02. का० अखिलेश्वर शर्मा।

थाना इटियाथोक का टाप—10 अपराधी, अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. सोहरत अली पुत्र मो० बक्स नि० धर्मेई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—320/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 12.09.2020 को थाना इटियाथोक के उ०नि० नरसिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बरडीहा गोगेपुरवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त थाना इटियाथोक के टाप—10 अपराधियों में से एक है। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना इटियाथोक में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० नरसिंह।
02. का० पटेल राय।
01. का० आदित्यनाथ यादव।
04. का० विजय कुमार यादव।

जानेलवा हमला करने का वांछित अभियुक्त अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. उग्रसेन पुत्र श्रीराम सिंह नि० गंगरौली थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—199/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 12.09.2020 को थाना उमरीबेगमगंज के उ०नि० रूदल बहादुर सिंह मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को पाण्डेय पुरवा पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त अभियुक्त मु०अ०सं०—112/20, धारा 323.504.506.307.188 भादवि व 51 आपदा प्रबन्धन अधि० थाना उमरीबेगमगंज में वांछित चल रहा था। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 रूदल बहादुर सिंह।
02. का0 राम अनिल शर्मा।
03. का0 अखिलेश।

थाना मोतीगंज ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. श्री चन्द्र उर्फ चिनगी पुत्र महादेव शर्मा नि0 दुर्जनपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—240/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 12.09.2020 को थाना मोतीगंज के उ0नि0 भोलाशंकर मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बजाज कुन्दरकी चीनी मिल मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मोतीगंज में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 भोलाशंकर।
02. का0 मृत्युन्जय कुमार।

थाना परसपुर ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रामबहादुर लोनिया पुत्र रामदास नि0 बसन्तपुर डीहा मौजा बंसतपुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—269/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 12.09.2020 को थाना परसपुर के उ0नि0 नीरज कुमार सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बसन्तपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 नीरज कुमार सिंह।
02. का0 धर्मेन्द्र यादव।
03. का0 रितुराज सक्सेना।

थाना परसपुर ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. पट्टेश्वरी सिंह पुत्र स्व0 भगौती सिंह नि0 खाले पुरवा मौजा चड़सड़ी थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—271/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 12.09.2020 को थाना परसपुर के उ0नि0 विरेन्द्र प्रसाद पाल मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बृहद ग्राम खालेपुरवा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना परसपुर में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 विरेन्द्र प्रसाद पाल

02. का0 धीरज वर्मा।

थाना कटराबाजार ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. सुभानअली पुत्र लतीफ नि0 सेल्हरी मौजा सेल्हरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—221/20, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 12.09.2020 को थाना कटराबाजार के उ0नि0 कर्मवीर सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बृहद ग्राम वीरपुर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कटराबाजार में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 कर्मवीर सिंह।

02. का0 गौरव।